Paper - V ①

Explain the plan adopted for the development of drought prone area in india.

भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र के विकास के लिए अपनाये गये योजना की व्याख्या कीजिए।

→ सूखा एक संकटापन्न स्थिति है जो वर्षा की कमी से उत्पन्न होती है। यह अपर्याप्त वर्षा अथवा वर्षा के बीच लम्बे अन्तराल से उत्पन्न हो जाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25 प्रतिशत कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। 25 से 50 प्रतिशत कम वर्षा होने पर मध्यम और 50 प्रतिशत से अधिक होने पर वर्षा की कमी की स्थिति में भयंकर सूखा उत्पन्न होते हैं।

सूखा तीन प्रकार का होता है। ① मौसम वैज्ञानिक के अनुसार सामान्य से बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है। इसमें न वर्षा समय से प्राप्त होती है और न पर्याप्त मात्रा में होती है। इस प्रकार का सूखा शुष्क और अर्द्ध शुष्क भागों में वर्षा के उच्च परिवर्तन वाले भाग में देखा जाता है।

② जल वैज्ञानिक के अनुसार सूखा नदियों, झीलों, जलाशयों आदि के सूखने से सम्बन्धित है। दो क्रमिक मौसम वैज्ञानिक सूखे से जल वैज्ञानिक को सूखे के उद्भव में मदद मिलती है।

③ कृषीय या मृदा सूखे में मिट्टी की नमी धारण की क्षमता समाप्त हो जाती है जिससे पौधे का विकास रुक जाती है। इसकी उग्र रूप से वनस्पति समाप्त होने लगती है जिसे मरुस्थल कहा जाता है। सूखे के लम्बे समय तक जारी रहने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कृषि उत्पादन के कमी होने से खाद्यान्न संकट, लोगों के क्रय शक्ति में ह्रास, कुपोषण, भुखमरी, उत्प्रवास, सामाजिक तनाव, अपराध, नैतिक मूल्यों में गिरावट का संकट उत्पन्न हो जाता है।

भारत में वर्षा की परिवर्तन से कोई न कोई भाग सूखा के चपेट में आ ही जाता है। औसत रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में एक वर्ष सूखा होता है।

<u>शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्र</u> :— यह एक आयता कार क्षेत्र है जिसका एक सिरा इलाहाबाद से कानपुर और दूसरा कानपुर से जालन्धर को जोड़ने वाली रेखा के सहारे पायी जाती है। लगभग भारत के 6 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। इसके तहत राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के भाग आते हैं, यहाँ वर्षा 7.5 सेमी कम तथा कहीं-कहीं 4 सेमी से भी कम वर्षा होती है। इन क्षेत्र में सूखे की उग्रता अधिक पाई जाती है। यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का विकास ...

हो सकता है। इन्दिरा गाँधी नहर और सरदार सरोवर परियोजना से इस क्षेत्र में सूखा नियंत्रण में मदद मिलेगी।

पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र :- इसका विस्तार सह्याद्रि के प्रतिपवन पार्श्व के सहारे लगभग 300 किमी की चौड़ी पट्टी में जलगांव से चित्तूर तक लगभग 3.7 लाख वर्ग किमी० क्षेत्र पर फैला है।

अन्य क्षेत्र :- ये क्षेत्र देश के विभिन्न भागों में लगभग 1 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसमें (i) उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र (ii) पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जनपद (iii) मिर्जापुर पठार (iv) झारखण्ड का पलामू क्षेत्र (v) तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुनलवेली क्षेत्र (vi) जम्मू-कश्मीर के जम्मू और उधमपुर क्षेत्र शामिल है।

सिंचाई विभाग (1972) ने देश में दो प्रकार के सूखा क्षेत्रों की पहचान की है।

(1) सूखा प्रवण क्षेत्र :- यहाँ वर्षा की परिवर्तित 25 प्रतिशत तक पाई जाती है। इसके 4 मुख्य क्षेत्र हैं- (i) गुजरात, राजस्थान, और समीपवर्ती पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य-प्रदेश, है।

(ii) मध्यवर्ती महाराष्ट्र आन्तरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना तथा तमिलनाडु के कुछ भाग है

(iii) उत्तर पूर्व बिहार एवं दक्षिणी पूर्व उत्तर प्रदेश है।

(iv) पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जनपद क्षेत्र है।

(2) चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्र :- यहाँ वर्षा की परिवर्तित 25 से 40 प्रतिशत पाई जाती है। इसमें पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ का भाग सम्मिलित है।

अनुवर्ती विवरण के अनुसार देश का लगभग 10 लाख वर्ग किमी क्षेत्र जो देश का लगभग 30 प्रतिशत भू-भाग होता है जो सूखा से प्रभावित है। इसमें देश का लगभग 5.6 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होता है।

लम्बे समय तक सूखा से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बंगाल में 1770 में 1 करोड़ लोग, मृत, उत्तर प्रदेश 1836 में 8 लाख, उड़ीसा में 1865-66 में 10 लाख एवं प्रायद्वीपीय भारत में 1876-78 में 55 लाख लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो गये थे।

वर्तमान समय में 1965-66 महाराष्ट्र, 1966-68 बिहार, 1987, 1996-97 में उड़ीसा और 2002 में भारत के इन सभी राज्यों का सूखा के प्रभाव से बुरा हाल हो गया था।

<u>सूखा प्रवण क्षेत्र विकास</u>:- सूखा प्रवण विकास कार्यक्रम की शुरुआत सन् 1973 में की गई। इसका उद्देश्य भूमि, जल एवं पशु संसाधनों का उच्चतम उपयोग, पारिस्थितिक संतुलन का पुनर्स्थापन और लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों की आय का स्थिरीकरण करना है। कार्यक्रम का कुछ प्रमुख तत्व है।

(i) जल संसाधनों का विकास एवं प्रबन्धन
(ii) मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण उपाय
(iii) सामाजिक तथा कृषि वानिकी पर विशेष बल सहित वृक्षारोपण
(iv) भेड़ पालन सहित चरागाह विकास प्रबंधन
(v) पशुपालन एवं डेरी विकास
(vi) भेड़ पालन सहित चरागाह विकास प्रबंधन
(vii) फसल प्रतिरूप की पुनर्स्थापना एवं कृषि-आर्थिक पद्धतियों में परिवर्तन एवं
(viii) सहायक व्यवसायों का विकास

वर्तमान में इस कार्यक्रम को 16 राज्यों के 195 जिलों के 972 विकासखंडों में लागू किया गया है। इस पर खर्च का अनुपात केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 है। सन् 1995-96 से इसे जल संभर विकास के अन्तर्गत समाहित कर लिया गया है जिसके तहत 2007-08 तक 27,439 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुचित प्रौद्योगिकी द्वारा क्षेत्र का समन्वित विकास करते हुए सूखा के प्रभाव को कम करना है। यह कार्यक्रम सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास, चरागाह विकास, वृक्षारोपण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सड़क, बाजार, उधार, सेवा एवं प्रसंस्करण आदि बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बल देता है। अलग-अलग राज्यों में इसके कार्यान्वयन हेतु पृथक संगठनात्मक व्यवस्था विकसित की गयी है।

<u>मरुस्थल विकास</u>:- मरुस्थल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थल प्रसार को रोकना है तथा

स्थानीय लोगों की आय और रोजगार स्तर में वृद्धि करना है। इसे उष्ण एवं शीतल मरुस्थल में लागू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ऐसी गतिविधियों पर जोर देता है जो पारिस्थितिक संतुलन पुनः स्थापन, बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण, तथा मृदा एवं जल के संरक्षण में सहायक हैं। सुरक्षा पट्टियों को लगाना, जल संग्रहण तकनीकों को अपनाना, तथा पशुधन व्यवस्था को संपोषण हेतु चरागाहों का विकास करना इस कार्यक्रम की कुछ रणनीतियाँ हैं। इसमें चरागाह के अलावा चारा फसलों, ईंधन एवं चारा हेतु वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी प्रकार लद्दाख और हिमाचल के शीतल मरुस्थल क्षेत्रों में सिंचित कृषि एवं पशुपालन के विकास पर जोर दिया जाता है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारम्भ किया गया था। इसे देश के 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 विकास खंडों में लागू किया गया है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक एवं राजस्थान इन सभी राज्यों में यह कार्यक्रम लागू किया गया है इसमें खर्च का सारा भाग केन्द्र सरकार वहन करती है। अप्रैल 1995 से इसे जलसंभर विकास कार्यक्रम में समाहित कर लिया गया है।

कमान क्षेत्र विकास:- यह देश के वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र के समन्वित विकास का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कमान क्षेत्र में सृजित सिंचाई क्षमता और वास्तविक उपयोग के मध्य के अन्तर को कम करना है। इसे 1974-75 में केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के तौर पर सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता के भरपूर उपयोग तथा कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सर्वप्रथम 1974 में इसे इन्दिरा गाँधी नहर कमान क्षेत्र से प्रारम्भ किया गया। मार्च 1998 में इसका विस्तार 23 राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों की 217 परियोजनाओं के 21.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर हो गया है।

इस कार्यक्रम में खेतों में नालियों का निर्माण, भूमि समतलन, धरातलीय एवं भौम जल का उपयोग, कृषि को समय पर जल की उपलब्धि, कृषि पद्धति का विकास और मृदा संरक्षण आदि को समाहित किया गया है।